

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयपटना

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2023

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 205 / 2023

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का नेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त सिंहाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा नेवरिया तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाता संख्या 279 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	नेवरिया	279	नाराण	नारायण लाल



(नीता बरीदा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(205)2023

दिनांक :- 26/6/23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

नारायण लाल शर्मा
ज्वाए निठ नेवरिया

(नीता बरीदा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

